FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

उनवान मांगूराम वगै० बनाम बलदेव वगै०

किस्म मुकदमा दावा मुकदमा नं० 63 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
18-05-17	वकील वादीगण श्री राजेश शेखर ने हाजिर होकर वादपत्र पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी जरिए सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 22-05-2017 को पेश हो।	
22-05-17	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आपके द्वार कार्यक्रम 2017 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खण्डेला में पेश हुई। वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 8 की ओर से राजीनामा पेश हुआ। वादीगण की पहचान श्री राजेश शेखर एड० ने तथा प्रतिवादी सं० 1 ता 8 की पहचान श्री बसन्त कुमार वर्मा एड० ने की। उपस्थित पक्षकारान को राजीनामा पढ़कर सुनाया गया जिसे सुन व समझ कर उपस्थित पक्षकारान द्वारा सही होना स्वीकार किया गया। अतः हस्बवाहिदा पक्षकारान राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। वकुलाय उभय पक्ष ने लोक अदालत की भावना से मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जाने का निवेदन किया। वकुलाय उभय पक्ष के निवेदन पर भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला	जगदीश सीताराम बलदेव

TDR, KDL

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि :— **आदेश** तन ग्राम होद तहसील खण्डेला जिला सीकर अवस्थित भूमि ख० नं० 260, 261 रकबा 0.72 है० में वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 व 2 के मृतक पिता/दादा "गंगलिया पुत्र कड़ा" का नाम "गंगुराम पुत्र केशाराम" दुरूस्त किया जाता है एवं उक्त ख०नं० से "गंगलिया पुत्र कड़ा" का नाम हजफ किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 1 व 2 को उनके हक हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा कृषि भूमि ख० नं० 260/1108 रकबा 0.35 है० तन ग्राम होद में वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 1 व 2 के मृतक पिता/दादा "गंगाराम पुत्र केशाराम" का नाम "गंगुराम पुत्र केशाराम" दुरूस्त किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त ख० नं० से "गंगाराम पुत्र केशाराम" का नाम हजफ किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो तदनुसार प्रकरण में पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मजमे आम सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)	